रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 23] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 19, 1973/पौष 29, 1894

No. 23] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 19, 1973/PAUSA 29, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, 19th January 1973

S.O. 30(E)/18E/IDRA/73.—Whereas the Central Government has, by its notified Order in the late Ministry of Industrial Development, Internal Trade No. S.O. 3030/18A/IDRA/71 dated the 20th August, 1971, issued under section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), authorised the Gujarat State Textile Corporation Limited, Ahmedabad to take over the management of the whole of the industrial undertaking known as the Jehangir Vakil Mills Limited, Ahmedabad (hereinafter in this Order referred to as the 'Industrial undertaking') for the period specified therein ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18E the said Act, the Central Government hereby specifies in the Schedule annexed hereto, the exceptions, restrictions and limitations subject to which the Companies Act, 1956 (1 of 1956), shall continue to apply to the industrial undertaking in the same manner as it applied thereto before the issue of the notified order under section 18A.

SCHEDULE

Provisions of the Companies Act, 1956	Exceptions, restrictions and limitations subject to which the provisions mentioned in Column (1) shall apply to the industrial undertaking.
(1)	(2)
Section 293(1)(d)	This section shall not apply in respect of any person or body of persons authorised by the Central Government to take over the management of the company under section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951.

[No. F. 3-1-73-C.U.C.]

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1973

का० आ० 30(अ) 185/आई० डी० आर० ए०/73.—यतः उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-क के अधीन जारी किए गए औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार मंत्रालय के अपने अधिसूचित आदेश सं० का० आ० 3030/18-क/आई० डी० आर० ए०/71 दिनांक 20 अगस्त, 1971 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने गुजरात राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड, अहमदाबाद को सम्पूर्ण जहांगीर वकिल मिल्स लिमिटेड, अहमदाबाद, (जिसे इसमें इसके पश्चात इस आदेश में "औद्योगिक उपक्रम" कहा गया है) का प्रबन्ध उसमें निर्दिष्ट कालावधि के लिये ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 18ङ की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इससे संलग्न अनुसूची में उन अपवादों, निर्बन्धनों और परिसीमाओं को निर्दिष्ट करती है जिसके अध्यधीन रहते हुए कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) औद्योगिक उपक्रम पर उसी रूप में लागू रहेगा जिस रूप में वह धारा 18-क के अधीन अधिसूचित आदेश के जारी होने से पहले उस पर होता था।

अनुसूची

कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्ध	वे अपवाद, निर्बन्धन और परिसीमाएं, जिनके अध्यधीन स्तम्भ (1) में वर्णित उपबन्ध, औद्योगिक उपक्रम पर लागू होंगे।
(1)	(2)
धारा 293(1)(घ)	यह धारा, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18-क के अन्तर्गत कम्पनी का प्रबन्ध हाथ में लेने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निकाय के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।

[सं० फा० 3/1/73-सी० यू० सी०]

S.O.31(E)/18 3/IDRA/73.—Whereas the Central Government has by its notified order in the late Ministry of Industrial Development, Internal Trade No. 3800/18A/IDRA/70 dated the 24th November, 1970, issued under section 18A of the Industries (Development and Regulation Act 1951 (65 of 1951), authorised the Gujarat State Textile Corporation Limited, to take over the management of the whole of the industrial undertaking known as the Keshav Mills Company Limited, Petlad (hereinafter in this Order referred to as the 'industrial undertaking') for the period specified therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18B of the said Act, the Central Government hereby specifies in the Schedule annexed hereto the exception, restrictions, and limitations subject to which the Companies Act, 1956 (1 of 1956), shall continue to apply to the industrial undertaking in the same manner as it applied thereto before the issue of the notified order under section 18A.

SCHEDULE

Provisions of the Companies Act, 1956.	Exceptions, restrictions and limitations subject to which the provisions mentioned in Column (1) shall apply to the industrial undertakings
(1)	(2)
Section 293(1)(d).	This section shall not apply in respect of any person or body of persons authorised by the Central Government to take over the management of the company under section 18A of the Industries (Development and Regulations) Act, 1951.

(No. F. 3/1/73-C.U.C.)

का० आ० 31(अ) 18ई/आई० डी० आर० ए०/73.—यतः उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 18-क के अधीन जारी किए गए औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार मंत्रालय के अपने अधिसूचित आदेश सं० 3800/8क/आई० डी० आर० ए०/70 दिनांक 24 नवम्बर, 1970 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने गुजरात राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड, अहमदाबाद को सम्पूर्ण केशव मिल्स कम्पनी लिमिटेड, पेटलैड (जिसे इसमें इसके पश्चात् आदेश में 'औद्योगिक उपक्रम' कहा गया है) का प्रबन्ध उसमे विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 18ङ की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इससे संलग्न अनुसूची में उन अपवादों, निर्बन्धनों और परिसीमाओं को विनिर्दिष्ट करती है जिसके अध्यधीन रहते हुए कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) औद्योगिक उपक्रम पर उसी रूप में लागू रहेगा जिस रूप में वह धारा 18-क के अधीन अधिसूचित आदेश के जारी होने से पहले उस पर होता था।

अनुसूची

कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्ध	वे अपवाद, निर्बन्धन और परिसीमाएं, जिनके अध्यधीन स्तम्भ 1 में वर्णित उपबन्ध औद्योगिक उपक्रम पर लागू होंगे।
(1)	(2)
धारा 293(1)(घ)	यह धारा, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18-क के अन्तर्गत कम्पनी का प्रबन्ध हाथ में लेने के लिए, केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निकाय के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी

[सं० फा० 3/1/73—सी० यू० सी०]

S.O. 32(E)/18E/IDRA/73.—Whereas the Central Government has, by its notified Order in the Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S.O 21(E)/18A/IDRA/72, dated the 7th January, 1972, issued under section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 19751 (65 of 1951), authorised the Gujarat State Textile Corporation Limited, Ahmedabad to take over the management of the whole of the industrial undertaking known as the Rajnagar Spinning Weaving and Manufacturing Company Limited, Ahmedabad (hereinafter in this Order referred to as the industrial undertaking) for the period specified therein.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18E of the said Act, the Central Government hereby specifies in the Schedule annexed hereto, the exceptions, restrictions and limitations subject to which the Companies Act, 1956 (1 of 1956), shall continue to apply to the industrial undertaking in the same manner as it applied thereto before the issue of the notified order under section 18A.

SCHEDULE

Provisions of the Companies Act, 1956.	Exceptions, restrictions and limitations subject to which the provisions mentioned in Column (1) shall apply to the industrial undertaking.
(1)	(2)
Section 293(1)(d).	This section shall not apply in respect of any person or body of persons authorised by the Central Government to take over the management of the company under section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951.

(F.No. 3/1/73-C.U.C.

D.K. SAXENA,

Jt Secy

का० आ०:32(अ)/18ई/आई० डी० आर० ए०/73.—यत: उद्योग (विकास तथा विनियमन अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 18–क के अधीन जारी किए गए औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के अपने अधिसूचित आदेश सं० का० आ० 21(अ) 18क/आई० डी० आर० ए०/72 दिनांक 7 जनवरी, 1972 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने गुजरात राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड, अहमदाबाद को सम्पूर्ण राजनगर, विविंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, अहमदाबाद (जिसे इसमें इसके पश्चात् आदेश में 'औद्योगिक उपक्रम' कहा गया है) का प्रबन्ध उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया।

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 18ङ की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इससे संलग्न अनुसूची में उन अपवादों, निर्बन्धनो और परिसीमाओं को निर्दिष्ट करती है जिसके अध्यधीन रहते हुए कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) औद्योगिक उपक्रम पर उसी रूप में लागू रहेगा जिस रूप में वह धारा 18–क के अधीन अधिसूचित आदेश के जारी होने से पहले उस पर होता था।

अनुसूची

कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्ध	वे अपवाद, निर्बन्धन और परिसीमाएं, जिनके अध्यधीन स्तंभ (1) में वर्णित उपबन्ध, औद्योगिक उपक्रम पर लागू होंगे
(1)	(2)
धारा 293 (1) (घ)	यह धारा, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18-क के अन्तर्गत कम्पनी का प्रबन्ध हाथ में लेने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निकाय के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।

[सं० का० 3/1/73-सी० यू० सी०]

दिनेश किशोर सक्सेना, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973